



0971CH03

निर्धनता : एक चुनौती

अवलोकन

इस अध्याय में स्वतंत्र भारत के सम्मुख सर्वाधिक कठिन चुनौती—निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात् यह अध्याय सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धनता के विश्लेषण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा में मानव निर्धनता जोड़कर अध्याय को समाप्त किया गया है।

परिचय

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जिन्हें हम निर्धन समझते हैं। वे गाँवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। देश के समक्ष निर्धनता की समस्या का विश्लेषण करने के

लिए नीति आयोग बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रयोग करता है। बहुआयामी निर्धनों का अनुपात 2005-06 में लगभग 55 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 25 प्रतिशत और 2019-21 में 15 प्रतिशत रह गया। यह आशा की जाती है कि बहुआयामी निर्धनता शीघ्र ही एकल संख्या में आ जाएगी।

निर्धनता के दो विशिष्ट मामले

शहरी स्थिति

तैंतीस वर्षीय रामसरन झारखंड में राँची के निकट गेहूँ के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 3500 रुपये कमा लेता है। यह रोजगार उसे हमेशा नहीं मिलता है। यह राशि छह सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के चार बच्चे



चित्र 3.1 : रामसरन की कहानी



शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गाँव में रह रहे अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई, अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन पर निर्भर हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक कमरे में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपरैलों से बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 1500 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में दो बार गुजारे लायक दाल-चावल ही जुटा पाते हैं लेकिन यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 700 रुपये और कमा लेता है जबकि उसकी 10 साल की बेटी स्कूल जाती है तथा छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती है। उनमें से प्रत्येक के पास दो जोड़े फटे-पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिलकुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटी लड़की स्कूल में मिलने वाले दाल-चावल को खाती है।

ग्रामीण स्थिति

लक्खा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गाँव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे-मोटे काम करता है। काम अनियमित है और आय भी वैसी ही होती है। अधिकांशतः उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 200 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। छह सदस्यों का परिवार हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लक्खा सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएँ पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही निकाल देती हैं। उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज थे, उचित चिकित्सा के अभाव में दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। अब उसकी माँ उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लक्खा कभी स्कूल नहीं गया। लेकिन वह खुश है कि उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है।



चित्र 3.2 : लक्खा सिंह की कहानी

निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें :

- भूमिहीनता
- बेरोजगारी
- परिवार का आकार
- साक्षरता का स्तर
- खराब स्वास्थ्य / कुपोषण
- असहायता

पिछले पृष्ठ पर दिए गए दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है, जब माता-पिता अपने बच्चों को दिन में तीन बार का भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार तथा न्यूनतम उचित मजदूरी का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ असहाय जैसे जीवन जीना है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता।

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा, जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा।

सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता

चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं, जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं, इसके लिए हाल के वर्षों में अन्य सूचकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना तीन व्यापक सूचकों के आधार पर की जाती है— स्वास्थ्य सूचक, जैसे— पोषण, बाल और किशोर मृत्युदर एवं मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा सूचक, जैसे— शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति एवं जीवन स्तर सूचक, जैसे— खाना बनाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, मकान, बिजली, संपत्ति, बैंक खाता आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा जैसे सूचक भी निर्धनता को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं (बॉक्स देखें)।

सामाजिक अपवर्जन

इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता का अर्थ उन निर्धन लोगों से है जिन्हें अपने जैसे लोगों के साथ मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है और उन्हें सामाजिक समता से वंचित होकर संपन्न लोगों के वातावरण से अलग-थलग रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामान्यतः यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका अन्य लोग आनंद लेते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति-व्यवस्था की कार्य-शैली भी है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार आय कम होने से ज्यादा सामाजिक अपवर्जन के अधिक नुकसान होते हैं।

असुरक्षा

निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों (जैसे— किसी पिछड़ी जाति के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे— कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, सुनामी) आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में, जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है।



निर्धनता रेखा

निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया 'निर्धनता रेखा' की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। 'उपभोग' शब्द का अर्थ है परिवार द्वारा विभिन्न मदों, जैसे— भोजन एवं वस्त्रों पर खर्च की गई राशि। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे 'न्यूनतम स्तर' से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः समय एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है जबकि भारत में अभी कार रखना भी विलासिता मानी जाती है।

कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और बिजली, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता था। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता था। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित था। खाद्य वस्तुएँ, जैसे— अनाज, दालें, सब्जियाँ, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती थी। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने

के लिए प्रतिव्यक्ति मौद्रिक व्यय इत्यादि और परिवारों द्वारा सूचित व्यय को निर्धनता रेखा के रूप में समझा गया है। कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस राशि को संशोधित किया जाता है।

वैश्विक विकासमानों के आधार पर भारत सरकार ने 12 विकासात्मक सूचकों का प्रयोग करके भारत में निर्धनों के अनुपात का आकलन शुरू किया है, जिसे प्रचलित रूप से बहुआयामी निर्धनता सूची (बॉक्स देखें) कहा जाता है। यह राष्ट्रीय सूचकांक निर्धनता माप पर आधारित आय या उपभोग व्यय का संपूरक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्धनता को मापता है और अभावों की तुलना करता है।

आइए चर्चा करें

निम्नलिखित पर चर्चा करें :

- उपभोग आधारित निर्धनता रेखा और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बीच क्या अंतर हो सकता है?
- आपके अनुसार आपके क्षेत्र में 'न्यूनतम आवश्यक स्तर' क्या होगा?

निर्धनता के अनुमान

पूर्व खंड में वर्णित कार्यप्रणाली के आधार पर भारत में निर्धन लोगों की संख्या एवं अनुपात जिसे हेड काउंट रेशियो (एच.सी.आर.) कहते हैं, का आकलन होता है। तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि 1990 के दशक के दौरान 'उपभोग व्यय आधारित' निर्धनों का अनुपात 45 से गिरकर 37 प्रतिशत हो गया, हालाँकि निर्धन लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ रह गई जिससे निर्धनों का अनुपात और संख्या दोनों ही कम हो गई। 2000-2011 के दौरान निर्धनों की संख्या एवं अनुपात, दोनों घट गए। 2015-21 के दौरान बहुआयामी निर्धनता दर घटकर 25 से 15 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान अधिकारिक अभिलेखों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हो गए। विशिष्ट रूप से कहें तो विभिन्न सूचकों के अंतर्गत निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घटी।

तालिका 3.1 : भारत में निर्धनता अनुमान (1993-2019)

वर्ष	हेड काउंट रेशियो (प्रतिशत)			निर्धनों की संख्या (करोड़)		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त योग
खपत आधारित						
1993-94	50	32	45	329	75	404
2004-05	42	26	37	326	81	407
2009-10	34	21	30	278	76	355
2011-12	26	14	22	217	53	270
बहुआयामी (सूचक) आधारित						
2015-16	32.6	8.7	25	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2019-21	19.3	5.3	15	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत : इंडिया इन फिगर्स, 2018, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, niti.gov.in/राज्य-सांख्यिकी (15 नवंबर, 2021 को प्राप्त किया गया); राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक : प्रगति समीक्षा 2023, नीति आयोग, भारत सरकार

राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के 12 सूचक

भारत सरकार के संगठन नीति आयोग ने निम्नलिखित 12 सूचकों का प्रयोग करके राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तैयार किया है। यदि कोई व्यक्ति इन सूचकों से वंचित है तो उसे बहुआयामी निर्धन के रूप में माना जाएगा।

- पोषण** : यदि 0 से 59 माह के बीच का कोई बच्चा या 15 से 49 वर्ष की आयु की महिला, या 15 से 54 वर्ष के बीच का कोई भी पुरुष कुपोषित पाया जाता है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- बाल-किशोर मृत्यु दर** : सर्वेक्षण से पूर्व 5 वर्ष की अवधि के दौरान यदि किसी बच्चे या 18 वर्ष से कम आयु के किशोर/किशोरी की घर में मृत्यु हो जाती है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- मातृ स्वास्थ्य** : यदि किसी घर में सर्वेक्षण से पूर्व 5 वर्षों के दौरान जन्म देने वाली किसी महिला को हाल के प्रसवकाल के दौरान प्रशिक्षित कुशल चिकित्सक द्वारा सहायता नहीं मिली है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- स्कूली शिक्षा के वर्ष** : यदि किसी घर के 10 वर्ष या उससे बड़े किसी भी बच्चे ने छह वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- स्कूल में उपस्थिति** : यदि किसी घर का स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा रहा/रही है जिस आयु तक वह कक्षा पूरी कर सकता/सकती है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- खाना पकाने का ईंधन** : यदि किसी घर में उपलों, कृषि पतवार, झाड़ी, लकड़ी, तारकोल या कोयले से खाना बनता है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- स्वच्छता** : यदि किसी घर में कोई उन्नत या कोई शौच सुविधा नहीं है या इसमें सुधार हुआ है लेकिन अन्य घरों के साथ साझा किया जाता है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- पेयजल** : यदि किसी घर में उन्नत पेयजल व्यवस्था या सुरक्षित पेयजल घर से कम से कम 30 मिनट की पैदल दूरी (आने-जाने के लिए) पर है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- आवास** : यदि किसी घर में अपर्याप्त आवास है, घर का तल प्राकृतिक सामग्रियों से बना है या छत अथवा दीवारें कच्ची सामग्री से बनी हैं तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- बिजली** : यदि किसी घर में बिजली नहीं है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- संपत्ति** : यदि किसी घर में इनमें से एक से अधिक संपत्ति नहीं है— रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, पशुगाड़ी, साइकिल, मोटरबाइक या रेफ्रिजरेटर और उस घर में कार या ट्रक नहीं है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।
- बैंक खाता** : यदि किसी घर के किसी भी सदस्य का बैंक या डाकघर में खाता नहीं है तो उस घर को वंचित माना जाएगा।

स्रोत : <https://www.undp.org/india/national-multidimensional-poverty-index-progress-review-2023>

निर्धनता : एक चुनौती



आइए चर्चा करें

तालिका 3.1 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :


- 1993-94 और 2004-05 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही?
- क्या भारत में निर्धनता में कमी के आँकड़े ग्रामीण और शहरी भारत में समान हैं?

आइए चर्चा करें

आरेख 3.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित कार्य करें :

- तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ हेड काउंट रेशियो सर्वाधिक है।
- तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ हेड काउंट रेशियो सबसे कम है।
- उन राज्यों की सूची बनाएँ जहाँ हेड काउंट रेशियो कम है लेकिन भारत के हेड काउंट रेशियो से अधिक है।

आरेख 3.1 : भारत के चुनिंदा राज्यों में हेड काउंट रेशियो, 2019-2021



स्रोत : <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimensional-Poverty-Index-2023.pdf>

अंतर्राज्यीय असमानताएँ

भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। (आरेख 3.1 देखें) यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य-स्तरीय निर्धनता में अत्यधिक कमी आयी है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रही है। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि 2019-2021 के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में हेड काउंट रेशियो दस प्रतिशत से कम हुआ है। इस बीच बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अध्ययनों से पता चलता है कि निर्धनता दूर करने के लिए राज्यों ने विभिन्न उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए, केरल ने मानव संसाधन विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से

निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण से सुधार हुए हैं।

असुरक्षित समूह

निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह— ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। आरेख 3.2 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं

को पूरा करने में असमर्थ हैं (आरेख 3.2)। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34 प्रतिशत अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34 प्रतिशत अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़ कर अन्य सभी तीनों समूहों (अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार) की निर्धनता में कमी आई है।

इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता दृष्टिगत है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों पर समान रूप से अधिकार नहीं मिल पाता है।


वैश्विक निर्धनता परिदृश्य

क्या भारत में ही निर्धन लोग हैं? विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे— विश्व बैंक गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक—\$ 2.15 से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की न्यूनतम उपलब्धता का प्रयोग करते हैं।

विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता— विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन \$ 2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग— का अनुपात 2010 के 16.27 प्रतिशत से गिर कर 2019 में 9.05 प्रतिशत हो गया है। इसमें \$ (डॉलर) का प्रयोग क्यों किया गया है? भारत में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रूपए का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश की अपनी-अपनी मुद्रा है। देशों के बीच आँकड़ों की तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अमेरिकी डॉलर का प्रयोग किया जाता है।

यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय भिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है (तालिका 3.2, आरेख 3.3 और 3.4 देखें)। चीन में निर्धनों का अनुपात वर्ष 2020 में 0.1 प्रतिशत हो गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि दक्षिण एशिया के देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2017 में 13 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 11 प्रतिशत हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी अत्यधिक कमी आई है, जो 2017 में 233 मिलियन से घट कर 2021 में 207 मिलियन रह गई।

आरेख 3.2 : भारत में निर्धनता (2011-12)— सर्वाधिक असुरक्षित समूह



स्रोत : www.worldbank.org/2016/India-s-poverty-profile (29/09/2021 को प्राप्त किया गया)




तालिका 3.2 : हेड काउंट रेशियो : कुछ चुनिंदा देशों के बीच तुलना

देश	प्रतिदिन \$ 2.15 से कम पाने वालों की संख्या (2017 पी.पी.पी.)
1. नाइजीरिया	30.9 (2018)
2. बांग्लादेश	9.6 (2022)
3. भारत	11.9 (2021)
4. पाकिस्तान	4.9 (2018)
5. चीन	0.1 (2020)
6. ब्राजील	5.8 (2021)
7. इंडोनेशिया	2.5 (2022)
8. श्रीलंका	1.0 (2019)

स्रोत : गरीबी और इक्विटी डेटाबेस, विश्व बैंक डेटा (databank.worldbank.org)

सब-सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2017 के 36.6 प्रतिशत से घटकर 2019 में 35 प्रतिशत हो गई है (आरेख 3.3 देखें)। लेटिन अमेरिका और कैरीबियन में निर्धनता अनुपात रेखा 2017 में 4.4 प्रतिशत से बढ़ कर 2021 में 4.6 प्रतिशत हो गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त होकर 2000 में 3 प्रतिशत हो गई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी।

आरेख 3.3 : प्रतिदिन \$ 1.9 पर जीवनयापन करने वाले लोग (2005-2019)



स्रोत : गरीबी और इक्विटी डेटाबेस, विश्व बैंक डेटा (<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database>)

आइए चर्चा करें

आरेख 3.3 और 3.4 का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें :


- विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है।
- विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है।
- विभिन्न देश विभिन्न गरीबी रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं?

निर्धनता एवं सतत विकास लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नए सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह लोगों और विश्व की समृद्धि के लिए एक साझा खाका प्रदान करता है जिससे भविष्य में निर्धनता समाप्त होगी। इसके केंद्र बिंदु में 17 सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) हैं। इसके लिए विकसित एवं विकासशील देशों से अविलंब कार्यवाही की जरूरत है। (बॉक्स देखें)

विकसित राष्ट्रों को विकासशील देशों की निर्धनता समाप्त करने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करने, असमानता को समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन का समाधान करने तथा सतत विकास को संवर्धित करने के प्रयास में सहायता करनी चाहिए।

आरेख 3.4 : क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या (करोड़ में)



स्रोत : विश्व बैंक पॉवकलनेट और गरीबी और इक्विटी डेटा पोर्टल

(<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database>)



स्रोत : <https://sdgs.un.org/goals>

अपने शिक्षक की सहायता से प्रत्येक एस.डी.जी. का विवरण एकत्रित करें। भारत या अपने राज्य द्वारा प्राप्त किए गए इन लक्ष्यों पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करें।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो निर्धनता को समाप्त करने के लिए अनेक देशों के साथ कार्य करता है। सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक पूरे किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए हैं। उन्हें यहाँ

चार्ट के रूप में दिया गया है। प्रत्येक लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों में बाँटा गया है। एस.डी.जी. 1 का लक्ष्य है- 2030 के मध्य तक कम से कम सभी आयामी निर्धनता में जीने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम करना। निर्धनों के अनुपात में गिरावट लक्ष्य 1- कोई निर्धन नहीं रहे (सभी जगह से सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करना) से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



निर्धनता के कारण

भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण थे। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ-साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई।

सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए। लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्षा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग उचित आवासों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुगियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएँ जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की एक चुनौती बन गई।

उच्च निर्धनता दर की एक और चुनौती आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति-पहल को अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। इस नीति के उचित कार्यान्वयन से करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधारा जा सकता था।

अनेक अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अतिनिर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इसलिए वे ऋण लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है।

आइए चर्चा करें

अपने आस-पास के कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि :

- वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित हैं?
- परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन हैं?
- परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है?
- क्या सभी बच्चे (लड़के और लड़कियाँ) विद्यालय जाते हैं?

निर्धनता-निरोधी उपाय

निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता-निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों (1) **आर्थिक संवृद्धि** को प्रोत्साहन और (2) **लक्षित निर्धनता-निरोधी** कार्यक्रमों पर निर्भर है।

1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिव्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45 प्रतिशत का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवृद्धि-दर विश्व में सबसे अधिक रही। 1970 के दशक के करीब संवृद्धि-दर 3.5 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6 प्रतिशत के करीब पहुँच गई। 21वीं सदी के दो दशकों में (2000-2020) तेजी से आर्थिक विकास हुआ है। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि, यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में संवृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गाँव में रहता है और कृषि पर आश्रित है।

इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता-निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएँ हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कुछ योजनाओं का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने हेतु हर घर के लिए कम से कम 100 दिनों के

लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है ताकि सूखा, वनोन्मूलन एवं मृदा अपरदन जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। अकुशल हस्त कामगारों के लिए मजदूरी दर को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान (पीएम पोषण) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे दो उद्देश्यों के लिए आरंभ किया गया था— (i) बच्चों के लिए विशेषकर कैलोरी और प्रोटीन लेने की पोषण आवश्यकताओं में सुधार करना, (ii) स्कूल में अधिक से अधिक नामांकन करना तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति का उन्मूलन करना। इस अभियान के अंतर्गत सम्मिलित हैं— सरकारी स्कूल, सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त स्कूल एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ने वाले 1 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं।

यह अभियान स्थानीय सरकारों और विभिन्न सामुदायिक संगठनों की सहायता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषकर गरीब तबकों के निर्धन बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल भेजना और कक्षागत गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 2016 में पूरे देश में गर्भवती महिलाओं को अच्छी प्रसवकालीन देखभाल सुविधा देकर प्रसूति और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत सुरक्षित प्रसव कराने एवं बच्चा जनने की दिशा में कार्य करना था और प्रसूति परिचर्या में कमियों को दूर करना था ताकि लाभार्थियों को नियमित और लगातार इलाज मिलता रहे। ये सेवाएँ हर महीने के नौ तारीख को प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि उन्हें इस योजना में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह धुँआ-रहित रसोईघर बनाने में महिलाओं को सहायता करता है ताकि उन्हें साँस की जीर्ण बीमारियों और कमजोर होती दृष्टि से बचाया जा सके। यह योजना 2016 में इस उद्देश्य के साथ आरंभ की गई थी कि जो महिलाएँ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े घरों में खाना बनाने के लिए परंपरागत विधियों, जैसे— कोयला, उपले या लकड़ी का प्रयोग कर रही थी, उन्हें स्वच्छ ईंधन (एल.पी.जी. गैस) देना था। इसके लक्षित लाभार्थी गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, बनवासी और गरीब तबके के घरों के लोग हैं। एल.पी.जी. के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में प्रथम रिफिल और स्टोव सहित पूर्णतः निःशुल्क कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

गत वर्षों में पूरे देश में एल.पी.जी. की खपत में वृद्धि हुई है। लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए घरों की महिलाओं के नाम पर कनेक्शन जारी किए गए। इस योजना से वनों की कटाई तथा कोयला, उपले और लकड़ी के जलाने से सृजित कार्बन उत्सर्जन कम करके पर्यावरण अक्षयता को संवर्धित करना है। स्वच्छ ईंधन अर्थात् एल.पी.जी. महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय की बचत करता है। वे अब सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।

भावी चुनौतियाँ

भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। यह आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन भारत को और बेहतर बनाएगा। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक संवृद्धि, सार्वभौमिक शिक्षा पर बल, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तीकरण के कारण संभव हो सकेगा।

लोगों के लिए निर्धनता की आय आधारित परिभाषा निर्धनता के सीमित पहलू को दर्शाती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के 'यथोचित' स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के 'न्यूनतम' स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार 'मानव निर्धनता' तक कर देना चाहिए। संभवतः बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है? या घर है? या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है? या रोजगार की सुरक्षा है? या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। इस अध्याय में हमने निधनता को मापने के विभिन्न दृष्टिकोणों को परखा है। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक दर्शाता है कि भारत में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात कम हुआ है। यह हाल के वर्षों में सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न उपायों के कारण संभव हुआ है। आपका क्या विचार है?





सारांश

आपने इस अध्याय में देखा है कि निर्धनता को मापने के लिए अनेक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। यू.एन.डी.पी. एवं ऑक्सफोर्ड नीति एवं मानव विकास पहल के सहयोग से नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से पता चलता है कि बहुआयामी गरीबी के हेड काउंट रेशियो में पर्याप्त कमी आई है। यहाँ तक कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य हेड काउंट रेशियो 10 प्रतिशत से भी कम करने में सफल हुए हैं, अन्य राज्यों को इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तथापि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2005-06 और 2019-21 के बीच सरकारी हस्तक्षेपों से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में अत्यधिक कमी आई है।



अभ्यास

- 1 भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?
- 2 क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?
- 3 भारत में 1993 से निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें।
- 4 भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें?
- 5 उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष अधिक असुरक्षित हैं।
- 6 भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।
- 7 वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें।
- 8 निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें।
- 9 मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?
- 10 निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन कौन हैं?
- 11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं?
- 12 उपभोग आधारित निर्धनता रेखा और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आधारित निर्धनता अनुमानों के बीच अंतर बताइए।
- 13 भारत में बहुआयामी निर्धनता आकलन के लिए प्रयुक्त सूचकों की सूची बनाइए।



संदर्भ

डेटन, ऐंगस एंड वैलेरी, कोजेल् (सं.). 2005. *द ग्रेट इंडियन पॉवर्टी डिबेट*. मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय. 2016. *इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, चैप्टर ऑन सोशल सेक्टर्स*. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. [ऑनलाइन वेब] URL: http://indianbudget.nic.in/es_2004-05/social.htm.

योजना आयोग. 2007. *मिडटर्म एप्रेज़ल ऑफ द टेन्थ फाइव ईयर प्लान 2002-07*, भाग-दो, अध्याय-7: *पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट*. योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली. [ऑनलाइन वेब] URL: <http://www.planningcommission.nic.in/midterm/english-pdf/chapter-07.pdf>.

नीति आयोग. 2023. *राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक : प्रगति समीक्षा 2023*. नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली.

पाणिग्रही अरविंद और विशाल मोरे. 2014. 'पॉवर्टी बाई सोशल रिलिजियस एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स इन इंडिया एंड इट्स लाजेंस्ट स्टेट, वर्किंग पेपर नं. 2013-14, प्रोग्राम ऑन इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसीज, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क.

योजना आयोग. 2007. *टेन्थ फाइव ईयर प्लान 2002-07*, अध्याय- 3.2, *पॉवर्टी एलिमिनेशन इन रूरल इंडिया: स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स*, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली. [ऑनलाइन वेब] URL: http://www.planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/10th/volume2/v2_ch3_2.pdf.

विश्व बैंक. 2016. *वर्ल्ड डेवलपमेंट सूचक 2016, सतत विकास के लक्ष्य की विशेषता*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली.

यू.एन.डी.पी. (संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम). 2023. *2023 ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एम.पी.आई.) : अनस्टेकिंग ग्लोबल पॉवर्टी : डेटा फॉर इंपैक्ट एक्शन*. न्यूयॉर्क.